

को पेश है।




28.5.24

पत्रावली पेश - इच्छी वार्दी अधिवक्ता अड्डास्थित परिवादी की नामकायमी हलु पूर्व में दालिम अबसा दिया जा चुका है बावजूद इसके नामकायमी नहीं कराते गये हैं तथा नहीं उपस्थित हुए जिससे जाहिर है वदी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है। वार्दी को न्यायालय द्वारा ककु-ककु कर तीन बार आवाज लगावार्दी बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

अतः वदी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत

अदम हाजरी - अदम पेशी में खारिज किया जाता है।

निर्णय लेर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फेसल हुआ होडा नम्बर से कम है।


(रियाइती)
IAS

